न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

राजस्व विविध वाद सं0– 04/2020-21

शांति देवी वगैरह बनाम् विजय सिंह वगैरह

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
10.2.25	अभिलेख उपस्थापित।	

आवेदिका शांति देवी उर्फ सुनरी देवी वगैरह ग्राम– उचरी, पो0– सेवाडीह, थाना– रंका, जिला– गढ़वा द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में वाद दायर किया गया है।

उपरोक्त वाद में प्रथम पक्ष का कहना है कि वाद में वर्णित भूमि मौजा उचरी अंचल रंका, थाना– रंका, जिला– गढ़वा में अवस्थित है जिसका थाना सं0– 74 है। वाद में वर्णित भूमि गत सर्वे खतियान में खतियानी रैयत दमरी भगत पिता– नन्हकू भगत जाति खरवार साकिन टोला गुड़रूआडीह दर्ज है जिसका खाता सं0– 12 प्लॉट सं0 क्रमशः 87, 139, 140, 141, 142, 144, 143, 153, 154, 156, 160, 150, 162, 171, 172, 173, 174, 175, 336, 396, 411 रकबा क्रमशः 0.47 ए0, 1.06 ए0, 2.60 ए0, 0.17 ए0, 0.64 ए0, 0.24 ए0, 0.07 ए0, 0.68 ए0, 0.08 ए0, 1.20 ए0, 3.89 ए0, 0.04 ए0, 0.02 ए0, 2.63 ए0, 0.07 ए0, 0.06 ए0, 0.03 ए0, 4.97 ए0, 0.09 ए0, 0.13 ए0, 0.32 ए0 है जिसका कुल रकबा– 19.46 ए0 है जो खतियानी भूमि है जिसका अंचल रंका के हल्का नं0– 5 के मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं0– 83/1 पर कोईली सिंह पिता वरूण सिंह व सरयु सिंह, शिवपूजन सिंह व बुधु सिंह, खेलावन सिंह के नामें मांग चलता है।

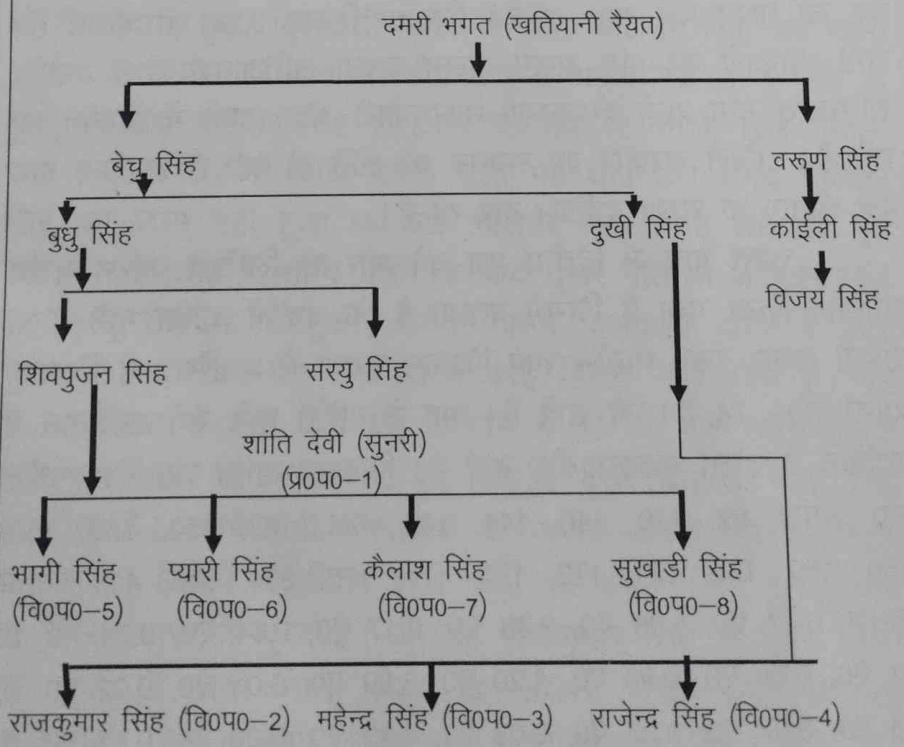

द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रथम पक्ष को कई बार कहने पर भी बटवारा नहीं किया जा रहा है और ना ही मांग को अलग–अलग कराने के लिए पहल की जा रही है जिससे स्पष्ट है कि प्रथम पक्षकार की भूमि को द्वितीय पक्षकार हड़पना चाहते है उभय पक्षकार अनुसूचित जन जाति खरवार से आते है। खतियानी रैयत के वंशजों का कितना कितना हिस्सा पड़ता है जिससे स्पष्ट करना आवश्यक है। जो इस प्रकार है। दमरी भगत खतियानी रैयत का कुल रकबा– 19.46 ए0 है जिसमें दमरी भगत के दो पुत्र 1. वरूण सिंह जिनका हिस्सा 9.73 ए0 हुआ जबकि दुसरा पुत्र बेचु का भी 9.73 ए0 हिस्सा हुआ। वरूण सिंह के एक मात्र पुत्र कोईली सिंह तथा काईली सिंह का भी मात्र एक ही पुत्र विजय सिंह जो विपक्षी सं0– 1 है जो अपने पुरे 9.73 ए0 का हकदार हुए। बेचू सिंह के तीन पुत्र हुए 1. बुधु सिंह 2. दुखी सिंह 3. नान्हू सिंह जिसमें तीनों का 3.24 ए0 का बराबर–बराबर हिस्सा बनता है जबकि बुधु सिंह के दो पुत्र 1. सरयु सिंह 2. शिवपूजन सिंह जो बुधु सिंह के हिस्से 3.24 ए0 में दोनों पुत्रों का बराबर–बराबर हिस्से में 1.62 ए0 बनता है जबकि सरयु सिंह का एक मात्र वारिशान शांति देवी (सुनरी) है तथा शिवपूजन सिंह के चार पुत्र है। 1. भागी सिंह 2. प्यारी सिंह 3. कैलाश सिंह 4. सुखाडी सिंह। खतियानी रैयत के दुसरे पुत्र दुखी सिुंह के एक मात्र पुत्र खेलावन सिंह तथा खेलावन सिंह के तीन पुत्र 1. राजकुमार सिंह 2. महेन्द्र सिंह 3. राजेन्द्र सिंह जबकि खतियानी रैयत के तीसरे पुत्र नान्हू सिंह के एक मात्र पुत्र रामचलितर सिंह। रामचलितर सिंह के बाद उनकी पत्नी फूलवासी कुवॅर वारिशान हुए जो प्रथम पक्ष सं0– 2 है। जिनका हिस्सा 3.24 ए0 बनता है। सभी पक्षकारों का मांग अलग–अलग करना अतिआवश्यक है क्योकि सम्मिलात मांग रहने के कारण मालगुजारी अदा करने में दिक्क्त आ रही है। जिसे सरकार का राजस्व की क्षति हो रही है इसलिए वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष दाखिल कर रहे है।

उक्त वाद में द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें बताया है कि वद में वर्णित भूमि मौजा उचरी अंचल रंका, थाना– रंका जिला– गढ़वा में अवस्थित है जिसका थाना सं0– 74 है। जो सही है। वाद में वर्णित भूमि सर्वे खतियान में साकिन दे टोला गुडरूआडीह दर्ज है। जिसका खाता सं0– 12 प्लॉट सं0 क्रमशः 87, 139, 140, 141, 142, 144, 143, 153, 154, 156, 160, 150, 162, 171, 172, 173, 174, 175, 336, 396, 411 रकबा क्रमशः 0.47 ए0, 1.06 ए0, 2.60 ए0, 0.17 ए0, 0.64 ए0, 0.24 ए0, 0.07 ए0, 0.68 ए0, 0.08 ए0, 1.20 ए0, 3.89 ए0, 0.04 ए0, 0.02 ए0, 2.63 ए0, 0.07 ए0, 0.06 ए0, 0.03 ए0, 4.97 ए0, 0.09 ए0, 0.13 ए0, 0.32 ए0 है जिसका कुल रकबा– 19.46 ए0 है जो खतियानी भूमि है

जिसका अंचल रंका के हल्का नं0– 5 के पंजी 2 के पृष्ठ सं0– 83/1 पर कोईली सिंह पिता– वरूण सिंह व सरयू सिंह, शिवपूजन सिंह व बुधु सिंह, खेलावन सिंह के नामें मांग चलता है। शांति देवी को पूर्व में उनका सारा हिस्सा दे चुके है जो वह राजुकमार सिंह से बिक्री कर दी है तथा पुनः हिस्से के लिए आवेदन दी है जबकि उसका पहले भी हिस्सा नहीं था, चूँकि शादि के बाद वह अपने ससुराल चली गयी, उसका पति सुदामा सिंह, ग्राम– बोड़ी थाना– चैनपुर जिला– पलामू का रहने वाला है। वहीं पर आवेदिका अपने पति के साथ रहती है तथा पहले ही अपना हिस्सा बेच चुकी है तथा बिक्री कर दी है उसका पति अपने ससुराल में घर दमाद बनकर नहीं रहा, अतः अब उसका हिस्सा नहीं है। खतियानी रैयत दमरी भगत का कुल जमीन 19.46 डी0 था जिसमें दमरी भगत के दो पुत्र में से वरूण सिंह का हिस्सा 9.73 डी0 तथा दुसरे पुत्र बेचु सिंह का हिस्सा 9.73 डी0 हुआ। वरूण सिंह के एक मात्र पुत्र कोईली सिंह तथा कोईली सिंह के एक मात्र पुत्र विजय सिंह हुए जो विपक्षी सं0– 1 है जो अपने हिस्से में दाखिल काबिज है जिनसे किन्ही को कोई मतलब नहीं है ना ही कोई लेना देना है इसमें आवेदिका का कोई हिस्सा नहीं होता है। बेचु सिंह के चार पुत्र हुए 1. बुधु सिंह, 2. सुधु सिंह 3. नान्हू सिंह 4. दुखी सिंह जिसमें सुधु सिंह एवं नान्हू सिंह निशंतान ही मृत हो गये। बुधु सिंह के दो पुत्र हुए 1. सरयू सिंह दृ शिवपूजन सिंह, सरयू सिंह की पुत्री शांति देवी उर्फ सुनरी देवी आवेदिका है। शिवपूजन सिंह के चार पुत्र हुए 1. प्यारी उर्फ प्रमोद सिंह 2. भागी सिंह 3. कैलाश सिंह 4. सुखाडी सिंह ये लोग भी 9.73 डी0/एकड़ के हिस्सेदारी हुए। फुलवासी कुवँर के पति चलितर सिंह का जन्म ग्राम– उचरी में नहीं ग्राम सेवाडीह में हुआ था क्योकि नान्हू सिंह के मृत्यु के बाद चलितर सिंह की मांग सेवाडीह में नन्हक सिंह पिता– स्व0 फकीरा सिंह से शादी करके चली गई थी। उस समय चलितर सिंह का जन्म नहीं हुआ था अतः चलितर सिंह नान्हू सिंह के पुत्र नहीं है। सेवाडीह में शादि करने के बाद दुसरे पति से चलितर सिंह का जन्म सेवाडीह में हुआ। उनकी पत्नी फुलवासी कुवँर है अतः फुलवासी कुवँर का ग्राम– उचरी में कोई हिस्सा नहीं होता है। यह कि आवेदिका के द्वारा दिये गये आवेदन में जो यह बात आती है कि 3.24 ए0 हिस्सा तीन जगह 1. बुधु सिंह 2. दुखी सिंह 3. नान्हू सिंह का होता है। उसमें सभी हिस्सेदारों को अपना–अपना हिस्सा वाजिब प्राप्त हुआ। जिसमें आवेदिका शांति देवी को अपना पिता सुरयु सिंह का हिस्सा प्राप्त हो चुका है। जो वह राजकुमार सिंह के साथ बिक्री कर चुकी है तथा नान्हू सिंह का हिस्सा दुखी सिंह के पुत्र रामखेलावन सिंह के लिए जिनके पुत्र 1. राजकुमार सिंह 2. मेन्द्र सिंह 3. राजेन्द्र सिंह है। इस तरह आवेदिका सं0– 1. शांति देवी उर्फ

सुनरी देवी को उनके पिता सरयु सिंह का हिस्सा प्राप्त हो चुका। जो कि बिक्री करके अपने ससुराल में रह रही है तथा आवेदिका सं0– 2. फुलवासी कुवँर का ग्राम उचरी में कोई हिस्सा नहीं होता है। चूँकि उनका पति ग्राम– सेवाडीह का निवासी था तथा नान्हू सिंह का हिस्सा दुखी सिंह के पुत्र रामखेलावन सिंह के लिए। अतः विपक्षीगण 1. विचजय सिंह 2. भागी सिंह 3. प्यारी सिंह उर्फ प्रमोद सिंह 4. कैलास सिंह, सुखाडी सिंह के पास आवेदिका का कोई भी हिस्सा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह बटवारा से संबंधित विवाद है जो अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी ,रंका को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/11/25

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।

10/11/25

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
रंका।

Digitally signed by Parmesh Kushwaha
Date: 2025.11.05 12:00:43 +05:30
Location: 10.93.21.247